

(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-11, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
( विभागराजस्व)

अधिसूचना

स-25/2015 .केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010 में, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में,-

(i) "जो यथास्थिति "शब्दों से आरंभ होने वाले और "प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "जो, यथास्थिति, सारणी 1 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) अथवा सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5) में यथा विनिर्दिष्ट श्रृंखला में ऐसी अधिकतम पैकिंग गति वाली पैकिंग मशीन की सहायता से, जिस गति से वे ऐसे विनिर्दिष्ट माल की पैकिंग के लिए, जो यथास्थिति, सारणी 1 या सारणी 2 के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट खुदरा विक्रय कीमतों वाले पाउचों में पैक किया जाता है, प्रचालित की जा सकती है, विनिर्मित किया गया है, जिसकी शुल्क की दर सारणी 1 के स्तंभ (3क) या स्तंभ (3ख) या स्तंभ (4क) या स्तंभ (4ख) या स्तंभ (5) या सारणी 2 के स्तंभ (3) या स्तंभ (4) या स्तंभ (5क) या स्तंभ (5ख) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) सारणी 2, के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“सारणी - 2

क्रम सं०	खुदरा विक्रय कीमत (प्रति पाउच)	प्रति मास प्रति पैकिंग मशीन शुल्क की दर (रुपए लाख में)			
		जर्दा सुगंधित तम्बाकू		अविनिर्मित तम्बाकू	
				कोई गति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		प्रति मिनट 300 पाउच तक	प्रति मिनट 301 पाउच और अधिक	चूना ट्यूब/चूना पाउच के बिना	चूना ट्यूब/चूना पाउच सहित
				(5क)	(5ख)
1.	1.00 रु० तक	27.05	82.11	13.30	12.63
2.	1.00 रु० से अधिक किन्तु 1.50 रु० से अनधिक	40.57	123.16	19.95	18.95
3.	1.50 रु० से अधिक किन्तु 2.00 रु० से अनधिक	48.68	147.79	23.94	22.61
4.	2.00 रु० से अधिक किन्तु	73.03	221.69	35.91	33.91

	3.00 रु0 से अनधिक				
5.	3.00 रु0 से अधिक किन्तु 4.00 रु0 से अनधिक	90.88	275.88	44.68	42.02
6.	4.00 रु0 से अधिक किन्तु 5.00 रु0 से अनधिक	113.60	344.84	55.85	52.53
7.	5.00 रु0 से अधिक किन्तु 6.00 रु0 से अनधिक	136.32	413.81	67.03	63.04
8.	6.00 रु0 से अधिक किन्तु 7.00 रु0 से अनधिक	216.37	656.85	106.39	99.74
9.	7.00 रु0 से अधिक किन्तु 8.00 रु0 से अनधिक	216.37	656.85	106.39	99.74
10.	8.00 रु0 से अधिक किन्तु 9.00 रु0 से अनधिक	216.37	656.85	106.39	99.74
11.	9.00 रु0 से अधिक किन्तु 10.00 रु0 से	216.37	656.85	106.39	99.74

	अनधिक				
12.	10.00 रु० से अधिक किन्तु 15.00 रु० से अनधिक	305.09	926.15	150.01	142.51
13.	15.00 रु० से अधिक किन्तु 20.00 रु० से अनधिक	382.37	1160.78	188.01	178.61
14.	20.00 रु० से अधिक किन्तु 25.00 रु० से अनधिक	449.29	1363.92	220.91	209.87
15.	25.00 रु० से अधिक किन्तु 30.00 रु० से अनधिक	506.80	1538.50	249.19	236.73
16.	30.00 रु० से अधिक किन्तु 35.00 रु० से अनधिक	555.79	1687.22	273.28	259.61
17.	35.00 रु० से अधिक किन्तु 40.00 रु० से अनधिक	597.08	1812.56	293.58	278.90
18.	40.00 रु० से अधिक किन्तु 45.00 रु० से अनधिक	631.41	1916.78	310.46	294.94

19.	45.00 रु० से अधिक किन्तु 50.00 रु० से अनधिक	659.47	2001.97	324.26	308.05
20.	50.00 रु० से अधिक	659.47+13.19 एक्स (पी-50)	2001.97+40.04 4 एक्स (पी -50)	324.26+6.49 एक्स (पी -50)	308.05+6.16 एक्स (पी -50)
		जहां ऊपर 'की' पाउच की वह खुदरा विक्रय कीमत प्रदर्शित करता है, जिस पर शुल्क दर अवधारित की जानी है ।			

दृष्टांत :- किसी जर्दा सुगंधित तंबाकू के पाउच के लिए जिसकी खुदरा विक्रय कीमत 55 रूपये (अर्थात "की") है और जिसे किसी ऐसी मशीन की सहायता से पैक किया गया है जिसकी वह अधिकतम पैकिंग गति, जिसपर वह उक्त खुदरा विक्रय कीमत वाले जर्दा सुगंधित तंबाकू पाउच की पैकिंग के लिए प्रचलित की जा सकती है, प्रतिमिनट 250 पाउच है प्रतिमास प्रति पैकिंग मशीन के लिए शुल्क की दर 659.47 +13.19 (55-50) लाख रूपये =725.42 लाख रूपये होगी।

[फा.सं० 334/5/2015-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

**टिप्पण :** मूल अधिसूचना सं. 16/2010-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 118(अ), तारीख 27 फरवरी, 2010 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 5/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.135(अ) तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, अंतिम बार संशोधित की गई थी ।